

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री आशिष कुमार पिता राजबल्लभ साव, श्री पुष्पांजलि गौरव पिता आशिष कुमार, श्री मनोज प्रसाद पति संजू देवी एवं पिता रामप्रसाद प्रसाद साहु, श्रीमती सुलेखा कुमारी पति स्व. बिनोद प्रसाद, श्री दीपक कुमार पिता बंदी प्रसाद साव, श्री शिवम कुमार साव पिता बंदी प्रसाद साव, श्री प्रभात कुमार साव पिता बंदी प्रसाद साव, श्रीमती पूनम कुमारी पति मिथुन साव, श्रीमती रिंकी कुमारी पति मिथलेश प्रसाद साहु, श्री दिपू कुमार प्रसाद पिता केदार प्रसाद, श्री मनीष कुमार पिता केदार साव, रंजना कुमारी पिता केदार प्रसाद एवं पति ओम प्रकाश साहू, श्री पंकज कुमार पति प्रभा कुमारी एवं पिता नीलकंठ प्रसाद, श्रीमती सुलेखा कुमारी पति बसंत कुमार साहु, श्री विशाल कुमार पिता बसंत कुमार साहु, प्रियंका कुमारी पिता बसंत कुमार साहु, श्री विवेक कुमार पिता बसंत कुमार साहु और श्री रामनन्दन कुमार पिता सिटन साव निवासी ग्राम: चमातु, गारी, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड), ग्राम : सौंदा बस्ती, थाना ; पतरातू जिला : रामगढ़ (झारखण्ड) एवं ग्राम : बेला पेटों, थाना ; केरेडारी, जिला : हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 168 के अधीन प्लॉट सं:- 638, 640, 641, 993, 1084, 1117, 1120, 1137, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 642, 643, 644, 668, 711, 776, 815, 883, 894, 923, 937, 963, 964, 965, 980, 981, 982, 992, 1703, 1704, 1706, 1713, 1716, 1715, 1720, 1589, 1599, 1601, 1702, 1718, 1729, 1730, 1731, 1732, 1744, 1745, 1768, 1775, 1776, 1777, 1787, 1799, 1800, 1802, 1805, 1806, 1590, 1803, 1807, 1812, 1816, 1818, 1932, 1957, 1959, 1346, 2136 & 1804, कुल रकबा - 36.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, गारी, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड), ग्राम : सौंदा बस्ती, थाना ; पतरातू जिला : रामगढ़ (झारखण्ड) एवं ग्राम : बेला पेटों, थाना ; केरेडारी, जिला : हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 168 के अधीन प्लॉट सं:- 638, 640, 641, 993, 1084, 1117, 1120, 1137, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 642, 643, 644, 668, 711, 776, 815, 883, 894, 923, 937, 963, 964, 965, 980, 981, 982, 992, 1703, 1704, 1706, 1713, 1716, 1715, 1720, 1589, 1599, 1601, 1702, 1718, 1729, 1730, 1731, 1732, 1744, 1745, 1768, 1775, 1776, 1777, 1787, 1799, 1800, 1802, 1805, 1806, 1590, 1803, 1807, 1812, 1816, 1818, 1932, 1957, 1959, 1346, 2136 & 1804, कुल रकबा - 36.00 एकड़ के तहत श्री आशिष कुमार पिता राजबल्लभ साव, श्री पुष्पांजलि गौरव पिता आशिष कुमार, श्री मनोज प्रसाद पति संजू देवी एवं पिता रामप्रसाद प्रसाद साहु, श्रीमती सुलेखा कुमारी पति स्व. बिनोद प्रसाद, श्री दीपक कुमार पिता बंदी प्रसाद साव, श्री शिवम कुमार साव पिता बंदी प्रसाद साव, श्री प्रभात कुमार साव पिता बंदी प्रसाद साव, श्रीमती पूनम कुमारी पति मिथुन साव, श्रीमती रिंकी कुमारी पति मिथलेश प्रसाद साहु, श्री दिपू कुमार प्रसाद पिता केदार प्रसाद, श्री मनीष कुमार पिता केदार साव, रंजना कुमारी पिता केदार प्रसाद एवं पति ओम प्रकाश साहू, श्री पंकज कुमार पति प्रभा कुमारी एवं पिता नीलकंठ प्रसाद, श्रीमती सुलेखा कुमारी पति बसंत कुमार साहु, श्री विशाल कुमार पिता बसंत कुमार साहु, प्रियंका कुमारी पिता बसंत कुमार साहु, श्री विवेक कुमार पिता बसंत कुमार साहु और श्री रामनन्दन कुमार पिता सिटन साव निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विशेषा कुमार
२६/०४/२०२१